

अन्तिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आदेश 20 नियम 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली

बईजलास : रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान

1. सोनिका चोरडिया पत्नी महेश चोरडिया जाति जैन निवासी एन.एच. 8 जैन मन्दिर के पास भुवाणा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।

.....वादीया

बनाम

1. लालुराम पुत्र कुका डांगी निवासी भुवाणा तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली हाल घासा तहसील, घासा।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 213 / 22 (वाद) जीसीएमएस : 2022 / 539

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.मिनजानिब पेश मुद्दायलह होकर हुक्म दिया जाकर अंतिम डिक्री दी जाती है कि :-
वाद वादी अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा सांगवा पटवार हल्का सांगवा तहसील घासा जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077-80 के खाता संख्या 291 पर दर्ज आराजियात का बंटवारा मुताबिक विभाजन सूची निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :-

क्र. सं.	खातेदारों के नाम	आराजी नम्बर	रकबा (हेक्टर)	किस्म	लगान
1	लालुराम पुत्र कुका डांगी सा. भुवाणा खातेदार	589 / 1	1.0361	बंजड	3.41
	योग	किता-01	1.0361	-	3.41
2	सोनिका चोरडिया पत्नी महेश चोरडिया जैन सा. एन.एच. 8 जैन मंदिर के पास भुवाणा तहसील गिर्वा उदयपुर खातेदार	589 / 2	0.1456	0.53	बंजड
		2552 / 584	0.0567	0.09	बा.द्वि.
		587	0.8337	2.78	बंजड
	योग	किता-03	1.0360	-	3.40

नोट :- उक्त डिक्री का नक्शा ट्रेस एवं विभाजन सूची अभिन्न अंग रहेगे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 13.03.2026 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर (SDO) मावली
जिला उदयपुर

